

02.12.21

वकुलाय उ.पे.।
स्वगन पत्रावली मूल अपील के साथ
दिनांक 28.12.21 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

28.12.21

वकुलाय उ.पे.।
उक्त से सम्बन्धित मूल अपील में
निर्णय पारित किया जा चुका है अतः
स्वगन पत्रावली का ऑनियन न रह जाने
से स्वगन प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है।

स्वगन प्रार्थना पत्र कुल्लु शुमार होकर
इस न्यायालय से नम्बर 34 में स्वगन
प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ संलग्न हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली